न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 41/2020(2020/00200)

अनवान : –

सुखराम पुत्र निकुराम जाति नायक निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।

प्राथी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री लीलाधर अग्रवाल **प्रार्थी**
राज पैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक : 31/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 4 बारानी पटवार हल्का चिड़ियागांधी के वर्तमान खाता सं 109/102 के मुरब्बा नम्बर 8 की 7 ता 14, 17 ता 24, मु0 नं0 19 के किला नं0 2 ता 4 इस प्रकार कुल किता 19 का कुल क्षेत्रफल 4.8070 हैक्टेयर में प्रार्थी के नाम 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सुखराम पुत्र नीकुराम की बजाऐ सुखलाल पुत्र नीकुराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, पहचान पत्र व जाति प्रमाण पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम सुखराम पुत्र नीकुराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में सुखराम पुत्र नीकुराम की बजाऐ सुखलाल पुत्र नीकुराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम सुखलाल पुत्र नीकुराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम सुखराम पुत्र नीकुराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुखराम पुत्र नीकुराम के स्थान पर सुखलाल पुत्र नीकुराम दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य सरकारी आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम सुखलाल पुत्र नीकुराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा 4 बारानी पटवार हल्का चिड़ियागांधी के वर्तमान खाता सं 109/102 के मुरब्बा नम्बर 8 की 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ता 14, 17 ता 24, मु0 नं0 19 के किला नं0 2 ता 4 इस प्रकार कुल किता 19 का कुल क्षेत्रफल 4.8070 हैक्टेयर में प्रार्थी के नाम 1/2 राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुखराम पुत्र नीकुराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा 4 बारानी पटवार हल्का चिड़ियागांधी के वर्तमान खाता सं 109/102 के मुरब्बा नम्बर 8 की 7 ता 14, 17 ता 24, मु0 नं0 19 के किला नं0 2 ता 4 इस प्रकार कुल किता 19 का कुल क्षेत्रफल 4.8070 हैक्टेयर में प्रार्थी के नाम 1/2 राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुखराम पुत्र नीकुराम के स्थान पर सुखलाल पुत्र नीकुराम दर्ज हो गया। जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम सुखराम पुत्र नीकुराम अंकित है। जबकी उप पंजीयक भादरा द्वारा दिनांक 05.07.2002 को पंजीकृत बैयनामा में क्रेता का नाम सुखलाल पुत्र नीकूराम दर्ज है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने यह अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण राजस्व रिकार्ड में सुखराम के स्थान पर सुखलाल लिखा गया है। जबकी इस प्रकार का कोई भी दस्तावेजात प्रार्थी ने पेश नही किया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य नही होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:28 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़